




न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची)

आदेश पत्रक

भारत सरकार
 श्री.पी.उमादी सुजीत राय वनाम सुदीप मल्ली लगेरद

| क्र०/तिथि | आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर | की गई कार्रवाई |
|-----------|---|----------------|
| | <p>अगिलेख सं०-एम.....60...../2018 धारा-107 द०प्र०सं० थाना प्रभारी ^{सुदीप मल्ली लगेरद} (श्री.पी.उमादी) के अप्राथमिकी सं०-22/18, दिनांक-11-5-18 प्रस्तुत पुलिस प्रतिवेदन/आवेदन से सूचना मिली है कि <u>सिल्ली विधान सभा उप-चुनाव की लीक रही श्री.पी.उमादी के सं० 11/18 दिनांक 11-5-18</u></p> <p>जिससे संभावना है कि परिशांति भंग होगी या लोक परिशांति क्षुब्ध होगी या उभय पक्ष/विपक्षी कोई ऐसा असंतोषकारी कार्य करेंगे जिससे परिशांति भंग हो जाएगी या लोक परिशांति क्षुब्ध हो जाएगी।</p> <p>अतः मैं पायल राज, कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची) उक्त पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध द०प्र०सं० की धारा-107 के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करती हूँ। उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध सूचना निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए उभयों/उनसे प्रत्येक को 1000(एक हजार) रु० का बन्ध पत्र उसी राशि के दो जमानतदारों के साथ राशि दाखिल करने हेतु आदेश क्यों नहीं दिया जाय।</p> <p>अगिलेख तिथि 25-05-18 को उपस्थापित करें। लेखापित एवं संश्लेषित</p> <p align="center">  कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू। </p> <p align="center">  कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू। </p> <p align="center"> अभिलेखा उपस्थापित। दिनांक पत्र क्रमांक 02, 07, 09 उपस्थित अन्य सभी अनुपस्थित। दिनांक 28-5-18 की शर्त। </p> <p align="right">  25/5/18 </p> | |

25-05-18

| तिथि | आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर |
|------|---------------------------------|
|------|---------------------------------|

30-11-18

आभिलेखन इतरचापित्त। विपक्षी हाउपलित
 विधाकसमा उप इगाव शक्तिपूर्परनय खै सप्यम
 हा गरी हा अतः वार गै आभिलेखन की
 कावारी बन्द की जाती है

— 
 30/11/18